Seventeenth Loksabha

>

Title : Introduction of the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2019 (Motion adopted and Bill introduced).

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, under 19B of the Directions by the Speaker, Lok Sabha, I would like to oppose the introduction of the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill. A few days earlier also, this House passed another amendment under Insolvency and Bankruptcy Code. One after another, amendments are being brought in and getting passed. It simply implies the inconsistency of this Government in so far as managing of our finance and economy are concerned.

In so far as legal perspective is concerned, no Bill shall be included for introduction in the List of Business for a day until after copies thereof have been made available for the use of Members for at least two days before the day on which the Bill is proposed to be

introduced. ये बिल आप कल लाए हैं, आज इनको धड़ल्ले से पास कराना, इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं ।

It is also said here as:

"Provided that Appropriation Bills, Finance Bills, and such Secret Bills are not put down in the list of business may be introduced without prior circulation of copies to Members."

सर, आप कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि this kind of indulgence should not be given to this Government. The Ministry has been taking the entire Parliament for a ride. That is our objection. Everything is being bulldozed because it has the majority on its own. This should not be the concept of any democratic Parliament. It is not only that. We have got it just today morning. Why? Why have we been deprived from enjoying our legitimate due? This is our question.

It is also requested from our end to send this Bill to the Standing Committee because the Minister herself has been suffering from inconsistency. …(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, we are seeking a very specific direction from you.…(*Interruptions*)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी यही हुआ है । इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी ऑन आई.टी. में जाना चाहिए । चूंकि उस कमेटी में ...* , इसलिए आप चाहते हैं कि वह जेपीसी में जाए । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, ऐसा नहीं होना चाहिए ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, वैसे तो हम सब आपकी बात मानते हैं और जानते हैं, लेकिन देखिए कि आपके बारे में भी, it is said as "if the Speaker gives permission". आपको इन्हें परमिशन देनी पड़ेगी । स्पीकर साहब को यथापूर्वक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मेरी यह बात हुई है, इस तरह की इमरजेंसी की हालत पैदा हुई है, इसलिए मैं इसे ला रहा हूं, लेकिन वे आपको नहीं दिए हैं । वे ...* टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण ।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ... * को कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकता है । आप जो कह रहे हैं, वह चेयर के खिलाफ है । बिना स्पीकर की परमिशन से यहां कोई काम नहीं हो सकता, कोई पेपर ले नहीं हो सकता है ।...(व्यवधान) आपने गलत बात कही है । आप इसको वापस लीजिए ।...(व्यवधान)

सर, आप इस बात को विड्रॉ करवाइए ।...(व्यवधान) यहां ...* को कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है ।...(व्यवधान) यह गलत है । उनको वापस करने के लिए कहिए ।...(व्यवधान) उनको बोलते-बोलते अंदाजा ही नहीं होता है कि वह क्या बोल रहे हैं ।...(व्यवधान) स्पीकर की परमिशन के बिना यह पेपर ले कैसे हो सकता है? आज स्पीकर ने इजाजत दी है, तब यह पेपर यहां ले हुआ है ।...(व्यवधान) सरकार यहां कुछ नहीं कर सकती हैं, जो कुछ भी करेंगे, स्पीकर करेंगे ।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, अभी गौरव गोगोई साहब बोल रहे थे, लेकिन मेरा भी एक ऑब्जेक्शन है ।...(व्यवधान) इन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी में ...* , इसलिए आप ज्वाइंट कमेटी में ले जा रहे हैं ।...(व्यवधान) साहब, वह कैसा आरोप लगा रहे हैं? ऐसे आरोप लगाने से पहले उनको सोचना चाहिए ।...(व्यवधान) ऐसे थोड़े ही आरोप लगते हैं ।

ज्वाइंट कमेटी तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां समय पर स्क्रूटनी हो सकती है ।...(व्यवधान) डेटा प्रोटेक्शन लॉ एक बड़ा विषय था । वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आया, लेकिन उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं । ...(व्यवधान) अभी हमारी मंत्री जी बैठी है । वह कुछ कहना चाहती हैं ।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हम सभी जानते हैं कि आप लोग राजनीति करने में माहिर हैं । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौगत जी, आप क्या कह रहे थे?

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मुझे यह कहना है कि अधीर रंजन जी ने जो डायरेक्शन 19 पढ़ा, उसमें क्लियरली बोला गया है कि दो दिन पहले सर्कुलेट करना है, लेकिन यह दो दिन पहले सर्कुलेट नहीं हुआ, बल्कि आज सुबह सर्कुलेट हुआ है । यह लिखा है कि and Shri Adhir Ranjan Chowdhury has read the provision that the Speaker can give the permission to place the Bill any time अगर मिनिस्टर इजाजत मांगें तो आपको जरूर देना चाहिए । मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप इस डायरेक्शन 19 को विड्रॉ कर लीजिए । दो दिन की नोटिस की कोई जरूरत नहीं है । मंत्री जब चाहे, इसको प्लेस करे, दिन में प्लेस करके साथ ही साथ पास करे । इस डायरेक्शन को अलग रख कर दिन-ब-दिन यह करना, ऐसा नहीं होना चाहिए । यह आपकी पावर है, लेकिन इस पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है ।...(व्यवधान) आप इस डायरेक्शन को हटा दीजिए, उसके बाद आप करिए । उसमें हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मेम्बर्स का यह अधिकार है ।...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, उस डायरेक्शन के बारे में कह दीजिए कि स्पीकर जब चाहे, इस पर चर्चा हो सकती है ।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, निशिकांत जी हमें बोलने नहीं दे रहे हैं । वह रूलिंग पार्टी के इम्पॉर्टेन्ट मेम्बर है । वह हमको बोलने नहीं दे रहे हैं ।...(व्यवधान) वह ऑन बिहाफ ऑफ स्पीकर इंटर्वीन करते हैं । सर, ऐसे कैसे चलेगा? ...(व्यवधान) क्या

यह कोई बात हुई कि आपने मुझे इजाजत दी और फिर इस प्रकार से मंत्री लोग क्यों कर रहे हैं? …(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I would just like to explain a few things. Of course, it is with your consent and permission that we come here seeking the will of the House to either allow us to introduce the Bill or not but I just want to put it in the context.

IBC came to this House for amendment during the Budget Session in July. Even at that time, I had very clearly explained that because the way in which some misinterpretations or different interpretations had occurred in the courts and the industry was feeling the need for a quick response with amendments to the legislation, we had to come in July.

प्रो. सौगत राय : ऐसा पहले नहीं किया था ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं हर विषय पर सबको मौका देता हूं । जब मंत्री जी बोल रही हैं, तो आप उनको बोलने दीजिए । यह डिस्टर्बेंस का सिस्टम बंद कर दीजिए ।

…(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: So, the need for us to bring this in July was this. Yes, the industry, they may be small, they may be medium, they may be big, but they are Indian industries, the industries operating in India. The moment the word industry is used, there need not be contempt. They are the job creators, they are the wealth creators, they are supposed to be protecting all of us. Therefore, this attitude on the basis of industry, I think, should be duly avoided. मैं भी विनम्रता से आपके सामने बात रखना चाह रही हूं, जो कानूनन आपरेट करते हैं, कानूनन पॉलिसी के

तहत हम उनकी मदद करना चाहते हैं, वह करने के लिए यह हाउस सुनने को तैयार है । This sarcasm or contempt, maybe, should be avoided. I want to say this.

Then, the question is that why we are coming here again now. We came with an amendment in July. Now, I am coming back with an amendment because there is a lot of doubt in the mind of small home buyers and others saying, will the whole process be waiting for years; can they have some clarity, and so on. So, if we have to bring in clarity, some amendments are required in addition to what we did in July, and therefore, I have come back. Yes, two days' notice has not been given. I seek your indulgence only to introduce the Bill, but after that, if the House wants to discuss it, I am fully willing. I have never avoided a debate. I have never avoided answering anybody. So, I am appealing to you, Sir, as the hon. Speaker of the House, to take a call because it is in response to the developments which we see in the economy, and most often, I am been told that I have not even responded to the economy. Here, I am responding with legislative amendments, and the House does not want to hear it. …(*Interruptions*) I do not believe that the House does not want to hear it. …(*Interruptions*) So, what is the difficulty in introducing? …(*Interruptions*) You are just obstructing because you do not want legislative changes to be shown for the people of India. …(*Interruptions*) This Government is responding speedily, and I do not want the Opposition to appear as though they do not want the Government to function. …(*Interruptions*) Please do help us function, please do help us respond to the economy because about the economy, all of us are equally concerned. Thank you. …(*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय : सर, अमेंडमेंट देने से यह स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाता है और हमें चर्चा का सुयोग नहीं रहता है, तो बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए । …

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस विधेयक की प्रतियां सभी सदस्यों को आज सुबह ही परिचालित की गई हैं । जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह सत्र 13 दिसम्बर तक ही है । अत: दो दिन के परिचालन की अनिवार्यता को पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने निदेश 19(क) और 19(ख) की अनिवार्यता को शीतल करने के माननीय मंत्री महोदया, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के अनुरोध को स्वीकार किया है और इस विधेयक को पुर:स्थापन हेतु इसे कार्य सूची में सूचीबद्ध करने की अनुमति प्रदान की है ।

प्रश्न यह है:

"कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : अब शून्य काल ।

श्री अधीर रंजन चौधरी ।